

FORM 21C  
(See rule 64)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.


Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN from 126-BHOPALGARH Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

PUKHRAJ sponsored by RASHTRIYA LOKTANTRIK PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, JODHPUR

Date : 11-12-2018



Returning Officer  
126-BHOPALGARH (SC) Assembly  
Constituency

प्रारूप - 21 ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। 126-भोपालगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन। निर्वाचनों का संवाहन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में है, घोषणा करता है कि -

पुष्पराज जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : राजकीय पॉलिटेक्नीक महाविद्यालय, जोधपुर।

दिनांक : 11-12-2018

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग अधिकारी

126-भोपालगढ़, विधानसभा क्षेत्र